



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.nic.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.nic.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No.43/ 2017

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 27.09.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त- संबंधित.

Sub: Customs Clearance Facilitation Committee–Minutes of the meeting held on 27.09.2017 — Reg.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 26वीं बैठक दिनांक 27.09.2017 को शाम 4.15 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 26th meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 04.15 PM on 27.09.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present for the meeting S/Shri/Smt:

1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
2. Amreeta Titus, Dy. Commissioner
3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
4. Ranbir Bose, Asst. Commissioner
5. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
6. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
7. M.S.Suresh, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran P., Scientist E', NIC
9. N Aravindan, Superintendent of Customs (P)
10. A.L. Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
11. Baiju Daniel, Appraiser
12. V.Usha, Superintendent of Customs
13. Vijayan Pillai, Superintendent of Customs (P)

सीमाशुल्क से विचार-विमर्श करने वाले विभागों/एजेंसियों/पणधारियों के प्रतिनिधि: सर्वश्री

Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs S/Shri:

1. V.T.Jadhav, Textile Committee
2. Dr.Jesto George, FSSAI
3. Raj Vinod. CPT
4. G.Gupta, CPT

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और 30.08.2017 को आयोजित सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा।

The Chair welcomed the members to the meeting and discussed the minutes of the CCFC meeting held on 30.08.2017.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई:

Action on Minutes of Last Meeting

बिंदु सं. 1 : एफएसएसएआई द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दिए गए मामलों की सूची पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट

Point No.1. Report on Action Taken Report on list of cases which have not been given NOC by FSSAI.

प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई ने कहा कि एफएसएसएआई द्वारा एनओसी नहीं दिए गए मामलों की सूची पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई ने कहा कि उन्हें उनके मुख्यालय द्वारा शीघ्र उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी ने इससे आगे यह भी कहा कि की गई कार्रवाई के बारे में कुछ ब्यौरे सीमाशुल्क ब्रोकरों द्वारा सीधे प्राप्त कर लिए गए हैं और ऐसे मामलों की सूची दे दी है जिन में की गई कार्रवाई रिपोर्ट अपेक्षित है।

Authorised Officer, FSSAI stated that the Action Taken Report on the list of cases which have not been given NOC by FSSAI has not been given till date. Authorised Officer, FSSAI stated that he was being pursued by his Head Office for an early reply. Authorised Officer further stated that some details on action taken have been directly obtained by Customs Brokers and gave the list of remaining cases on which action taken report was required.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह सूची 3 (तीन) वर्ष की अवधि की होने के कारण, इसमें सामान्य से कुछ अधिक समय लग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज छांटी हुई सूची प्रस्तुत किए जाने के बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध करवाने में तेजी आएगी।

The Chair informed since the list pertained to a period of 3(three) years, it was taking a more time than usual. He assured that with the pruned down list submitted today, the action taken report would be expedited.

(कार्रवाई: सहा.आयुक्त (मूल्यनिरूपण) Action: AC (Appraising)

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1: बीई सं. 8776752 दिनांक 06.03.2017 के अनुसार आगम पत्रों का संशोधन-संशोधित आगम पत्र की स्वीकृति में एफएसएसएआई की आवश्यकता

Point No.1. Amendment of Bills of Entry w.r.t BE No. 8776752 dated 06.03.2017 – Requirement of FSSAI for accepting the amended Bill of Entry

डॉ. जेस्टो जॉर्ज, प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई ने एफआईसीएस में अपलोड किए जाने के बाद आगम पत्र में मात्रा में संशोधन किए जाने के इस विशेष मामले को उठाया। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे मामलों में संशोधित आगम पत्रों की एक प्रति एफआईसीएस में अपलोड की जानी अपेक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि दो सरकारी एजेंसियों के पास भिन्न मात्रा वाला मामला भी हो सकता है।

Dr. Jestto George, Authorised Officer, FSSAI took up the specific case where the quantity on the Bill of Entry was amended subsequent to the same having being uploaded in FICS. He requested that in such cases a copy of amended Bill of Entry is required to be uploaded in the FICS. He further stated there could be a case of difference in quantity with the two agencies of the Government.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि मात्रा में संशोधन करने के बाद आगम पत्र का प्रिंट आउट निकालना संभव नहीं है। श्री भुवनचंद्रन, एनआईसी ने बताया कि सहायक आयुक्त के पास संशोधन के बाद आगम पत्र को पुनः संप्रेषित करने का विकल्प होता है, ऐसे भेजे गए आगम पत्रों का उपयोग एफएसएसएआई द्वारा रिकार्ड के लिए किया जा सकता है। श्री एस.वी. प्रकाश, सहायक आयुक्त ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि सीमाशुल्क ब्रोकर के पास सहायक आयुक्त का मात्रा संशोधन का अनुमोदन होगा जिसे ज़रूरत पड़ने पर एफआईसीएस पर अपलोड किया जा सकता है।

The Chair informed that it was not possible to take a print of the Bill of Entry after the amendment of quantity. Shri Bhuvanachandran, NIC stated that Assistant Commissioner has the option to retransmit the Bill of Entry after amendment which can be used by FSSAI for record purposes. Shri S V Prakash, Assistant Commissioner approved of the same. He further stated that the Customs Broker would be having the quantity amendment approval by the Assistant Commissioner, which could be uploaded to FICS, if necessary.

बिंदु सं. 2: नमूना लेने एवं जांच के लिए सीएफएस लोकेशनों में फ्रोज़न एरिया की कमी

Point No.2. Lack of frozen area in CFS locations for sampling and inspection.

डॉ. जेस्टो जॉर्ज, प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई ने मत व्यक्त किया कि फ्रोज़न एरिया की सुविधा वाले किसी भी सीएफएस में नमूना लेने और जांच का कार्य करने के लिए सुविधा नहीं है।

Dr. Jesto George, Authorised Officer, FSSAI opined that there are no facilities in any CFSs which have facility of frozen area where sampling and inspection can be carried out.

श्री जी. गुप्ता, पोर्ट ट्रस्ट ने कहा कि सीएफएस पोर्ट ट्रस्ट में फ्रोज़न माल के लिए कोई सुविधा नहीं है, जहां नमूना लेने और जांच का कार्य किया जा सके।

Shri G Gupta, Port Trust stated that the CFS Port Trust does not have the facility for frozen, where sampling and inspection be carried out.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सीएफएस पर निर्भर करता है कि वे ऐसे मामलों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाएं।

The Chair stated that it was for the CFSs to provide facilities for such cases, if they so desired.

बिंदु सं.3: “इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स/रिजेंट्स” को एनओसी के लिए औषध नियंत्रक को संदर्भित नहीं किया जाना - तकनीकी अधिकारी (औषध) ने सूचित किया कि “इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स/रिजेंट्स”, जो सीटीएच 38220090 के तहत आते हैं, को पिछले एक महीने से औषध नियंत्रक को संदर्भित नहीं किया जा रहा है।

Point No.3. “In Vitro Diagnostic Kits/Reagents” not being referred to Drugs Controller for NOC – Technical Officer (Drugs) pointed out that “In Vitro Diagnostic Kits/Reagents” falling under CTH 38220090 are not being referred to Drugs Controller for the past one month.

अध्यक्ष महोदय ने मत व्यक्त किया कि अगर स्विफ्ट डायरेक्टरी में सीटीएच को नहीं दर्शाया जा रहा है, तो यह मामला आयुक्त (सिंगल विंडो) को संदर्भित किया जाएगा।

The Chair opined that the matter would be referred to Commissioner (Single Window) if the CTH does not figure in the SWIFT Directory.

सदस्यों ने चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए इसलिए अध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in. के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in/](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) ccucochin@gmail.com. के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in.

Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in / ccucochin@gmail.com.

Sd/-

(**पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao**)

प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated:28.09. 2017.

//अनुप्रमाणित Attested//

(**विजयन पिल्लै Vijayan Pillai**)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
2. The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTB Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :Additional Commissioner/All D.Cs & A.Cs/All Members.